Government of Bihar
Department of Mines & Geology

Letter No.-.....1411................./M, Patna, Dated-......15/3/2023

From,

Md. Nayyer Iqubal, IAS
Director, Mines.

To,

CONSULTANT (JUDICIAL),
National Green Tribunal,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Subject: Response in compliance of Hon'ble NGT order dated-06.01.2023 passed in O.A. No. 587/2022 Krishna Kumar Ram & Ors. Vs. State of Bihar & Ors

Respected Sir,

I am enclosing herewith the response on behalf of Respondents no. 1 (State of Bihar through Chief Secretary Government of Bihar) and respondent no. 2 (Director, Mines) in compliance of Hon'ble NGT order dated 06.01.2023 in O.A. No. 587/2022 Krishna Kumar Ram & Ors. Vs. State of Bihar & Ors.

Kindly acknowledge the same.

Yours faithfully

Director, Mines 15/3/23

4L0002762416

192

WELFARE STAMP
बिहार BIHAR
पच्चीस रुपये RUPEES TWENTY FIVE
BRST1517426C2308K
15-MAR-2023

KALYANI KUMARI
Area-PATNA
Regd. No.-636/J/2019
Exp.Date-22/01/2024
BIHAR, INDIA

No. 80 Date 15/03/25

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

Original Application No. 587 of 2022

Response on behalf of Respondents no. 1 (State of Bihar through Chief Secretary Government of Bihar) and respondent no. 2 (Director, Mines) in compliance of Hon'ble NGT order dated 06.01.2023 in O.A. No. 587/2022 Krishna Kumar Ram & Ors. Vs. State of Bihar & Ors.

I, Md. Nayyer Iqubal, aged about 57 years, son of M.A. Wadood, resident of Bari Path, Noori Masjid, Nafis Colony, Samapatchak, P.S.-Pirbahore, Dist.-Patna, do hereby solemnly affirm and the state as follows:

1. That at present I am posted as Director, Mines and Geology Dept., Govt. of Bihar, and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the present case.

<u>Background:-</u>

1. That the Hon'ble NGT in O.A. No. 587/2022 has considered the letter petition as original application, complaining that illegal mining is being carried out in the area of Samra labheda Panchayat everyday which is eco-sensitive zone of Balmiiki Tiger reserve and the concerned officers/official are not taking any action despite making of complaints to them repeatedly.

2. That in compliance of direction passed by the Hon'ble NGT vide order dated 21.09.2022 joint committee comprising of representative of the Director Mines and Geology Department, the State of Bihar, the DFO, Bihar State Pollution control Board and the District

KALYANI KUMARI
Area-PATNA
Regd. No.-636/J/2019
Exp.Date-22/01/2024
NOTARY
BIHAR, INDIA

Magistrate, Balmiki Nagar, Bihar conducted joint inspection/ site visit on 03.11.2022 and joint inspection report submitted in Hon'ble NGT.

3. That during joint inspection dated 03.11.2022 no illegal sand mining was found and the applicant/ complainant informed that illegal sand mining was being carried six month ago. Also, some other villagers stated that the sand mining was being done earlier and not at present. There was complained regarding illegal sand mining on Semra Labdeha against which an FIR bearing number 51/2022 in Piprasi PS.

4. That the Hon'ble NGT vide order dated 06.01.2023 has issued directions to filled response of respondents. The operating part of order dated 10.11.2022 is reproduced as below :-

"………. 4. In view of the averments made in the application and observations made in the report, we consider it appropriate to have response of (1) the State of Bihar, through Chief Secretary, Government of Bihar; (2) Director Mines and Geology Department, Government of Bihar; (3) the BSPCB; (4 the Divisional Forest Officer, Bagah Forest Range, West Champaran and (5) the District Magistrate, Balmiki Nagar, Bihar, who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 5 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. ……………."

GOVT. OF BIHAR, INDIA KALYANI KUMARI Area-PATNA Regd. No.-6361/2019 Exp.Date-22-01/2024 NOTARY

Response :-

1. That the District Magistrate, West Champaran inspected site in question on 08.02.2023 along with Superintendent of Police, Divisional Forest Officer and other Officers.

2. That during inspection on 08.02.2023 neither mining activities nor any sign of illegal mining was found. It was also decided by the District Magistrate, West Champaran to establish a check post in this area.

   A copy of inspection report dated 08.02.2023 is annexed herewith and marked as Annexure-'A'.

3. That it is stated that Mines Inspector, West Champaran also conducted regular inspection to ensure no illegal mining being conducted.

   A copy of inspection report dated 07.02.23, 20.12.2022, 28.10.2022, 28.02.2023, 17.01.2023 are annexed herewith and marked as Annexure-'B' series.

4. It is appropriate to mention here that the proactive steps of the State of Bihar is evident from the fact that it has been pleased to amend the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2021, thereby amending the Rule 56 levying compensation to deal with cases of illegal sand mining in the

GOVT. OF BIHAR, INDIA KALYANI KUMARI Area-PATNA Regd. No.-6320/2019 Exp. Date-22/01/2024

entire State in conformity with the order dated 26.02.2021 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No. 360 of 2015 in the matter of National Green Tribunal Bar Association vs. Virender Singh (State of Gujarat). Thus, the State of Bihar is the first state to comply with the directions of this Hon'ble Tribunal to curb all forms of illegal sand mining in the State.

5. That it is most relevant to submit here that the amended Rule 56 in light of order dated 05.04.2019 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No. 360 of 2015, gives power to compound the offence committed in contravention of the said rule, on payment of cost of mineral and compound fee, as detailed in the chart in the Rule 56. The said chart is reproduced herein below:

Sl.No.	**Vehicle/ Equipment**	**Compound Fee (in Rs.) Per Unit**
1.	Tractor Trolley	25000/-
2.	Matador, Half Truck 407,608	50000/-
3.	Full Body Truck/ Dumper (Hydraulic 6 wheeler vehicle)	100000/-
4.	10 or more than 10 wheeler vehicle	200000/-
5.	Crane, Excavator, Loader, Power hammer, Compressor, Drilling Machine, etc	400000/-

6. It is submitted that the State of Bihar has taken strict view of the illegal mining activity and its transportation activity.

GOVT. OF BIHAR, INDIA
KALYANI KUMARI
Area-PATNA
Regd. No.-5336/1/2019
Exp.Date-22/01/2024

7. It is submitted that the respondent State has been routinely monitoring the progress with regard to the against taken for prevention of illegal mining in the State of Bihar.

8. That, I have gone through the contents of this response and understood the same.

DEPONENT

(Md. Nayyer Iqubal) 15/3/23

Sri/Smt Md. Nayyer Iqubal
Deponent's Signature/L.T.I
Identified by Salil
Advocate, Solemnly affirmed and declared before me
Kalyani 15/03/23
KALYANI KUMARI
NOTARY PATNA

GOVT OF BIHAR INDIA
KALYANI KUMARI
Area-PATNA
Regd. No.-6381/2019
Exp Date-22/01/2024

I identify the deponent's signature/L.T.I who has/have affixed in my presence
Kalyani
Advocate
15/03/23

YL 0002762410

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :	15-MAR-2023 10:13:27
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	THE BIHAR STATE COOPERATIVE BANK LIMITED
LOCATION :	CIVIL COURT PATNA
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT1501C2311K766
e-COURT FEE AMOUNT :	₹ 95
	(Rupees Ninety-Five Only)

₹5
BIHAR COURT FEE
BRCT1528080C2305K
15-MAR-2023

BRCT1501C2311K766

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti-copy feature, the appearance of micro printing, watermark and other Overt and Covert features."

श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से., जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 08.02.23 को सेमरा लबेदाहा बालु घाट के निरीक्षण की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पुलिस अधीक्षक, बगहा/डी.एफ.ओ. डिवीजन-2, बेतिया/अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/ सहायक समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/अंचल अधिकारी, पिपरासी/थानाध्यक्ष, पिपरासी/खनिज विकास के तहत निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी

- जिला पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पिपरासी प्रखंड अंतर्गत सेमरा लबेदाहा पंचायत के श्रीपत नगर घाट (गंडक नदी) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालू घाट से किसी भी प्रकार का खनन होते हुए नहीं पाया गया और ना ही खनन करने के चिन्ह पाए गए। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि जांच स्थल से वी.टी.आर. लगभग पांच कि.मी. की दूरी पर है।

- जांच के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से खनन के संदर्भ में पूछ-ताछ किया गया। ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया कि यहां से खनन नहीं होता है। ग्रामीणों के द्वारा यह भी बतलाया गया कि इस क्षेत्र से बालू के साथ-साथ मिट्टी के खनन पर भी रोक है, जिसके कारण आवास योजना के तहत घर का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, जबकि पदाधिकारियों के द्वारा गृह निर्माण हेतु लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

  जिला पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों को जानकारी दिया गया कि यह निषिद्ध बालू घाट है, यहां से खनन करने पर रोक है। किन्हीं के द्वारा अवैध खनन किए जाने पर तत्काल इसकी शिकायत विभागीय पदाधिकारियों सहित थाना को करने का अनुरोध किया गया।

- जिला पदाधिकारी के द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में घाटों से अवैध खनन नहीं होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत की जाँच करायी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- जिला पदाधिकारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक, बगहा को इस क्षेत्र के लिए घाट की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर विशेष चेक पोस्ट का अधिष्ठापन करते हुए, 24X7 के तर्ज पर बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

- जिला पदाधिकारी के द्वारा जांच के दौरान उपस्थित अंचल अधिकारी, पिपरासी एवं थानाध्यक्ष पिपरासी को निर्देश दिया गया कि खनन हेतु निषिद्ध घाटों पर विशेष निगरानी रखें, ताकि खनन ना हो सके। इन क्षेत्रों पर लगातार चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया।

- जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मद्देनजर लगातार छापेमारी अभियान, जांच अभियान चलाया जाय। मुख्य मार्गों पर हो रहे ट्रकों के परिचालन का नियमित रूप से जांच कर कड़ी कार्रवाई करें। बालू का अवैध स्टॉक करने वालों के विरूद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलायें। अवैध खनन कार्य में लगे ट्रकों, ट्रैक्टरों को जब्त कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाय।

236

➢ जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि लघु खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कारगर तरीके से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई करें।

8/2/23

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 82 /गो॰, दिनांक 08/02/2023

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पिपरासी/थानाध्यक्ष, पिपरासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- खनिज विकास पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, प्रमंडल संख्या-02, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/23

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

235

जिला खनन कार्यालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया

सेमरा लबेदाहा (पिपरासी प्रखण्ड) के अंतर्गत अवैध बालू खनन के शिकायत के संबंध में संयुक्त जाँच प्रतिवेदन।

दिनांक 07.02.2023 को सेमरा लबेदाहा घाट (गंडक नदी) पर बालू खनन का संयुक्त जाँच खान निरीक्षक पश्चिम चम्पारण, बेतिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पिपरासी एवं पिपरासी थाना के द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया।

संयुक्त जाँच के क्रम में यह पाया गया कि नदी तट पर बालू का खनन वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, एवं बालू के अवैध खनन का कोई साक्ष्य भी प्रतिवेदित नहीं हुआ।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर

1- लालबहादुर यादव
2 गार खाबिन वार्ड पंच
3 राजेश बीन 03 वार्ड
4. Ranjeet Kumar सामाजिकसेवी
5 Praveen Kumar " "
6 धुरन बैठा

[signature] 07.02.23 BDO Piprasi

[signature] 7/02/23 (था. प्र.)

[signature] 7/2/2023 S.H.O Piprasi PS

[signature] (मौ.) [illegible]

[signature] 07/02/2023 (खा. नि.)

234

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

विषय - पिपरासी अंचल अन्तर्गत सेमरा लबेदहा पंचायत, वाल्मिकी टाईगर रिर्जव ईको - संसटीव जोन से अवैध बालू / मिट्टी खनन से संबंधित स्थल निरीक्षण के संबंध में,

महाशय,

दिनांक २०/१२/२०२२ को खनन दल द्वारा खान निरीक्षक प॰ चम्पारण, बेतिया कि नेतृत्व में सेमरा लबेदहा घाट (गंडक नदी) क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात पाया गया कि वर्तमान समय मे किसी भी तरह का अवैध बालू / मिट्टी खनन नही हो रहा है / इसकी पुष्टी उक्त स्थल पर मौजूद स्थानिय लोगों ने भी की /

अतः भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित /

विश्वासभाजन
२०/१२/2022
खान निरीक्षक
प॰ चम्पारण, बेतिया /

1/1

233

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषयः पिपरासी अंचल का सेमरा लेबदहा पंचायत, वाल्मिकी टाईगर रिर्जव ईको–संसेटीव जोन से अवैध बालू/मिटट्री खनन से संबंधित स्थल निरीक्षण के संबंध में

प्रसंगः भवदीय का ज्ञापांक 5370/एम०, पटना, दिनांक 25.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय का ज्ञापांक 5370/एम०, पटना, दिनांक 25.10.2022 के आलोक में दिनांक 28.10.2022 को खान निरीक्षक, प० चम्पारण, बेतिया एवं पिपरासी थाना गस्ती दल ने संयुक्त रूप से उपरोक्त शिकायती क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात् पाया गया कि वर्तमान में किसी भी तरह का अवैध बालू/मिटट्री का खनन की गतिविधियॉं नहीं पाई गई और खनन स्थल क्षेत्र वर्तमान में जलमग्न है। इसकी पुष्टी सरपंच और दो शिकायतकर्ता गवाहों ने भी की है।

अर्थात् पिपरासी थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त अवैध खनन शिकायत से संबंधि एवं अवैध खनन के रोकथाम हेतु मेरे यहाँ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिसका पत्रांक 38, दिनांक 22.06.2022 थाना कांड संख्या 51/22 है, इन तमाम निरीक्षण एवं पुछताछ से पता चला कि वर्तमान में किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है।

अतः भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

28/10/2022

खान निरीक्षक,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

Anx 'B' Series 3

जिला खनन कार्यालय पश्चिम चम्पारण, बेतिया

सेमरा लबेदाहा (पिपरासी प्रखण्ड) के अंतर्गत अवैध बालू खनन के शिकायत के संबंध में संयुक्त जाँच प्रतिवेदन।

दिनांक 07.02.2023 को सेमरा लबेदाहा घाट (गंडक नदी) पर बालू खनन का संयुक्त जाँच खान निरीक्षक पश्चिम चम्पारण, बेतिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पिपरासी एवं पिपरासी थाना के द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया।

संयुक्त जाँच के क्रम मे यह पाया गया कि नदी तट पर बालू का खनन वर्तमान समय में नही हो रहा है, एवं बालू के अवैध खनन का कोई साक्ष्य भी प्रतिलिखित नही हुआ।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर

1- लालबहादुर यादव
2 गार खाबिन वार्ड पंच
3 राजेश बीन 03 वार्ड
4. Ranjeet Kumar स्थानीयवासी
5 Praveen Kumar " "
6 घुरन बैठा

BDO Piprasi
07.02.23

7/02/23
(खा. नि)

7/2/2023
S.H.O
Piprasi P.S

07/02/2023
(खा. नि)

मौ०/2 शिवप्रजनमाक

232

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

विषय - पिपरासी प्रखण्ड अंतर्गत सेमरा लबेदाहा घाट के निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

दिनांक 28/02/2023 को सेमरा लबेदाहा घाट (गंडक नदी) पर खान निरीक्षक एवं खनन दल द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया। जाँच के क्रम में यह पाया गया कि नदी तट पर वर्तमान समय में बालू का खनन नहीं हो रहा है। एवं अवैध खनन का कोई साक्ष्य भी परिलक्षित नहीं हुआ।

अतः भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 28/02/2023
खान निरीक्षक
प० चम्पारण, बेतिया।

230

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

विषय ÷ पिपरासी अंचल अन्तर्गत सेमरा लबेदाहा पंचायत, श्रीपत नगर घाट (ईको - सेंसिटीव जोन) से अवैध बालू खनन से संबंधित स्थल निरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में दिनांक 17/01/2023 को खान निरीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के द्वारा सेमरा लबेदाहा घाट (गंडक नदी) क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात पाया गया कि वर्तमान समय में किसी भी तरह का अवैध बालू खनन का साक्ष्य परिलक्षित नहीं हो रहा है।

अत: भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
17/01/2023
खान निरीक्षक
प० चम्पारण, बेतिया।

Department of Mines & Geology, Government of Bihar

229

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी

पश्चिम चम्पारण, बेतिया

विषय - पिपरासी अंचल अन्तर्गत सेमरा लबेदहा पंचायत, वाल्मिकी टाईगर रिर्जव ईको - संसेटीव जोन से अवैध बालू / मिट्टी खनन से संबंधित स्थल निरीक्षण के संबंध में,

महाशय,

दिनांक 20/12/2022 को खनन दल द्वारा खान निरीक्षक प॰ चम्पारण, बेतिया कि नेतृत्व में सेमरा लबेदहा घाट (मंडक नदी) क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात पाया गया कि वर्तमान समय मे किसी भी तरह का अवैध बालू / मिट्टी खनन नही हो रहा है/ इसकी पुष्टी उक्त स्थल पर मौजूद स्थानिय लोगों ने भी की।

अतः भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 20/12/2022

खान निरीक्षक

प॰ चम्पारण, बेतिया।

228

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषयः पिपरासी अंचल का सेमरा लेबदहा पंचायत, वाल्मिकी टाईगर रिर्जव ईको–संसेटीव जोन से अवैध बालू/मिटट्टी खनन से संबंधित स्थल निरीक्षण के संबंध में

प्रसंगः भवदीय का ज्ञापांक 5370/एम०, पटना, दिनांक 25.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय का ज्ञापांक 5370/एम०, पटना, दिनांक 25.10.2022 के आलोक में दिनांक 28.10.2022 को खान निरीक्षक, प० चम्पारण, बेतिया एवं पिपरासी थाना गस्ती दल ने संयुक्त रूप से उपरोक्त शिकायती क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात् पाया गया कि वर्तमान में किसी भी तरह का अवैध बालू/मिटट्टी का खनन की गतिविधियॉ नहीं पाई गई और खनन स्थल क्षेत्र वर्तमान में जलमग्न है। इसकी पुष्टी सरपंच और दो शिकायतकर्ता गवाहों ने भी की है।

अर्थात् पिपरासी थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त अवैध खनन शिकायत से संबंधि एवं अवैध खनन के रोकथाम हेतु मेरे यहॉ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिसका पत्रांक 38, दिनांक 22.06.2022 थाना कांड संख्या 51/22 है, इन तमाम निरीक्षण एवं पुछताछ से पता चला कि वर्तमान में किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है।

अतः भवदीय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

28/10/2022

खान निरीक्षक,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

- Eco-Sensitive Zone - V.T.R. (सेमरा लबदहा पंचायत)

227

Eco-Sensitive Zone Valmiki-Tiger Reserve (सेमरा लबदहा पंचायत)

227

Eco-sensitive Zone V.T.R (सेमरा लबदहा पंचायत)

Eco-sensitive Zone V.T.R. (सेमरा लेबदहा पंचायत) 224

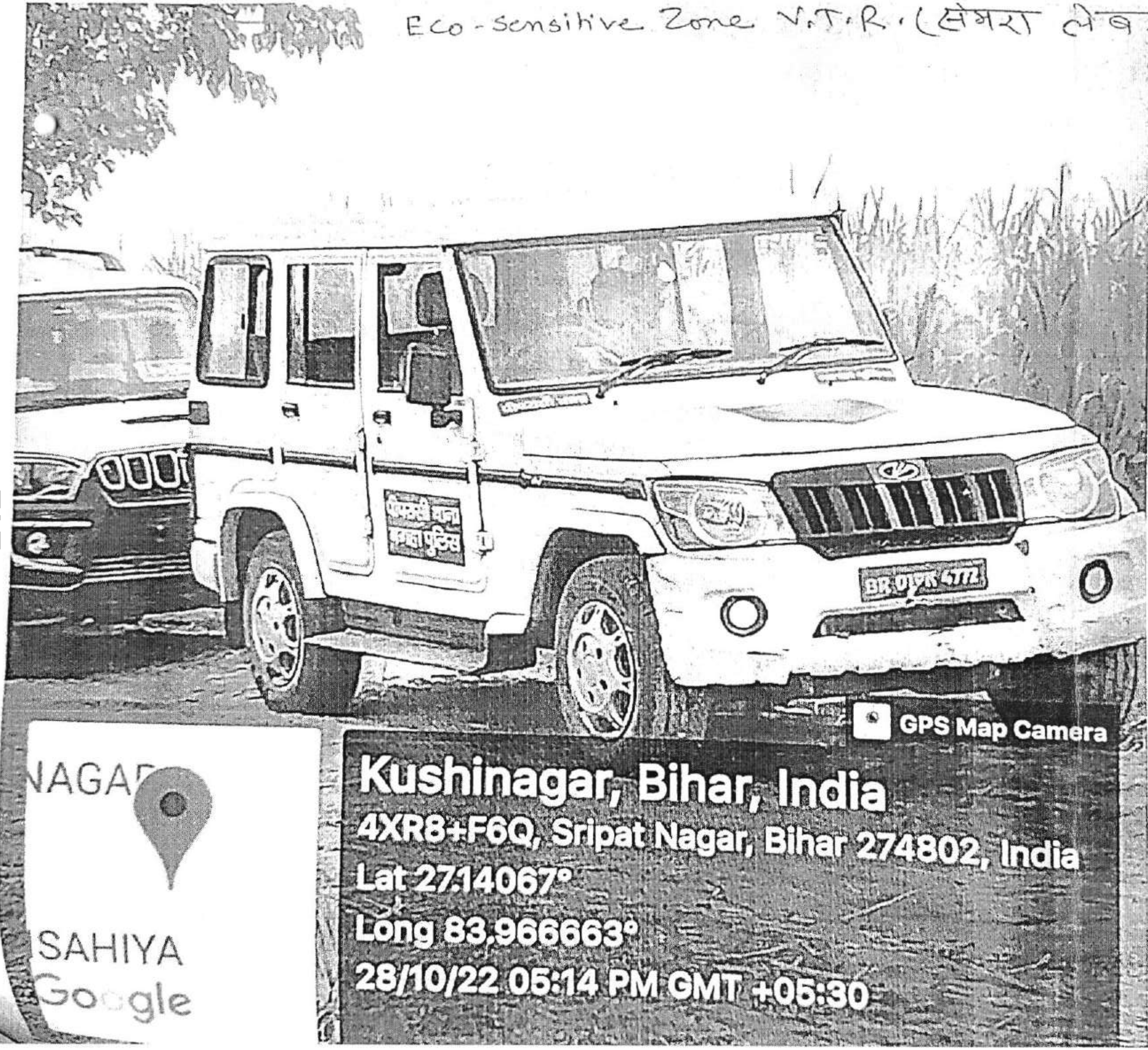

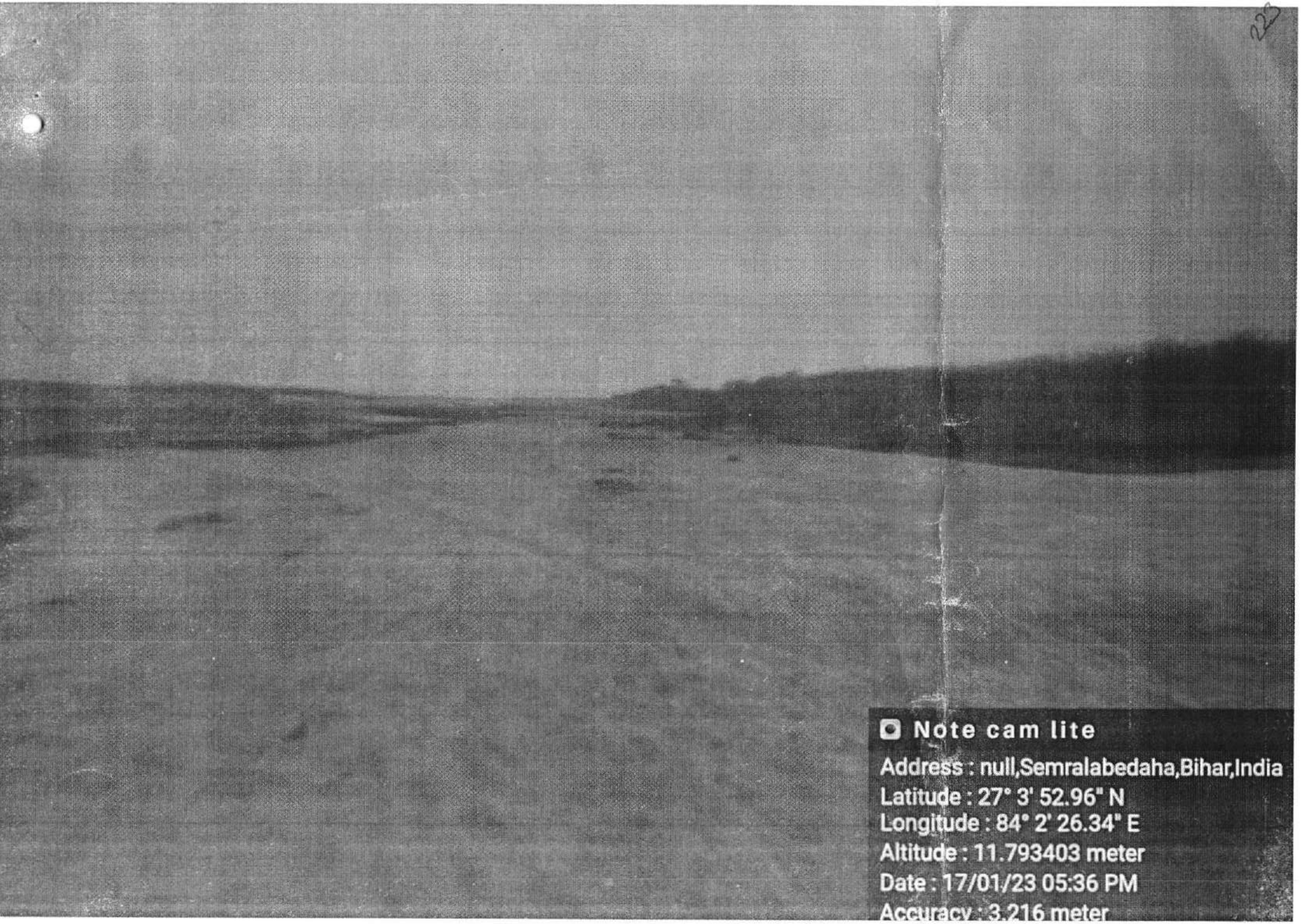
Note cam lite
Address : null,Semralabedaha,Bihar,India
Latitude : 27° 3' 52.96" N
Longitude : 84° 2' 26.34" E
Altitude : 11.793403 meter
Date : 17/01/23 05:36 PM
Accuracy : 3.216 meter

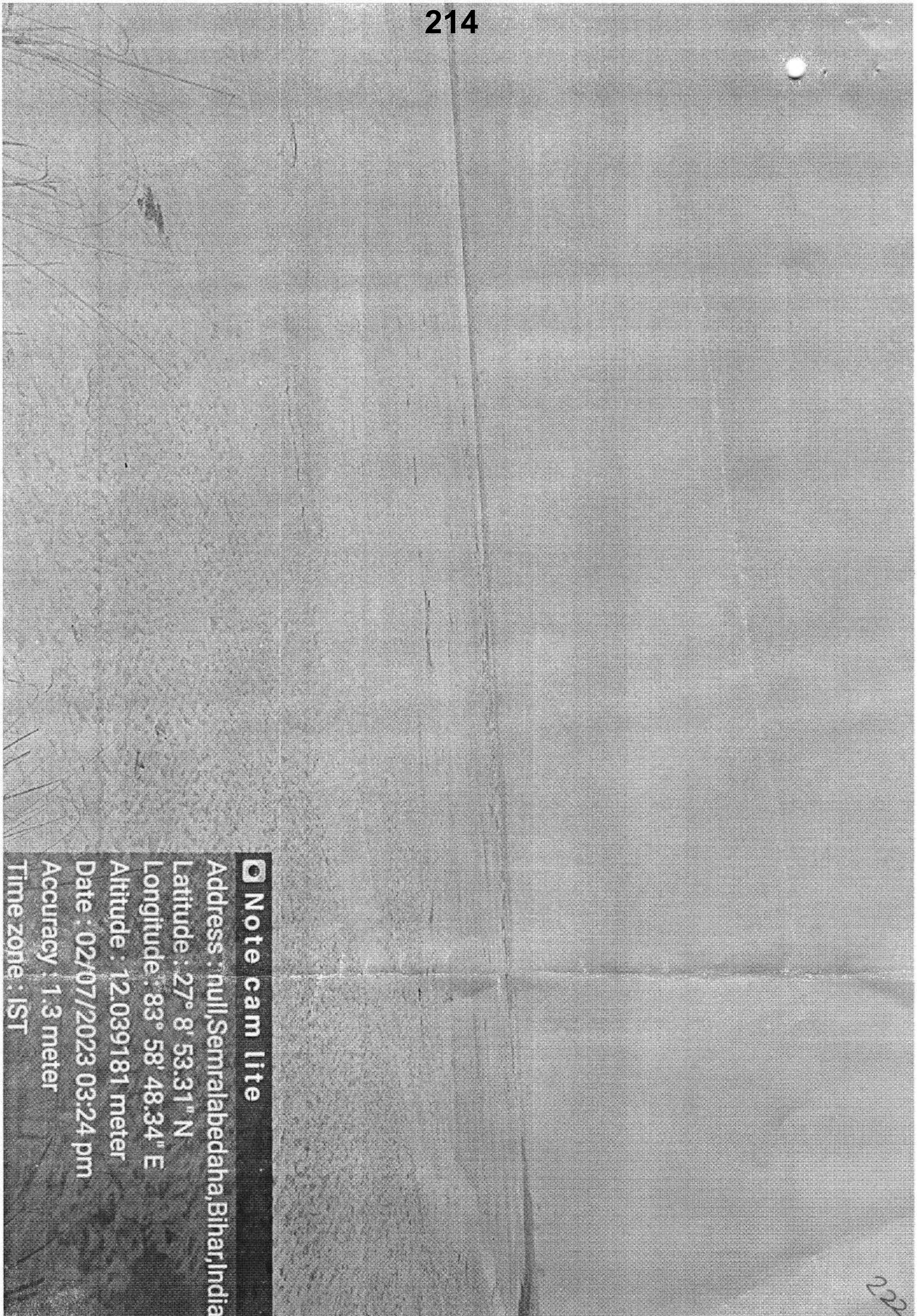
Note cam lite
Address : null,Semralabedaha,Bihar,India
Latitude : 27° 8' 53.31" N
Longitude : 83° 58' 48.34" E
Altitude : 12.039181 meter
Date : 02/07/2023 03:24 pm
Accuracy : 1.3 meter
Time zone : IST

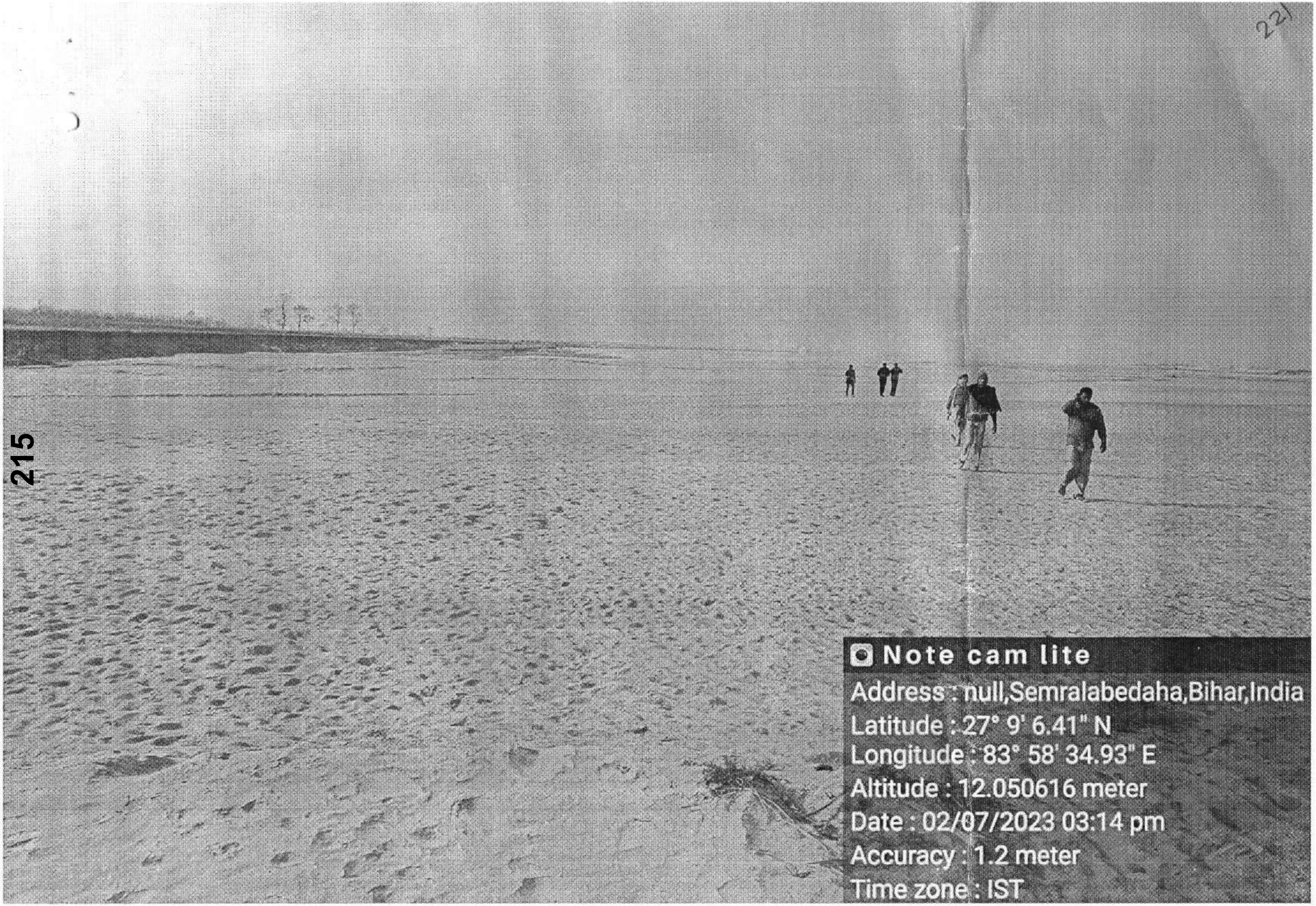
Note cam lite
Address : null,Semralabedaha,Bihar,India
Latitude : 27° 9' 6.41" N
Longitude : 83° 58' 34.93" E
Altitude : 12.050616 meter
Date : 02/07/2023 03:14 pm
Accuracy : 1.2 meter
Time zone : IST

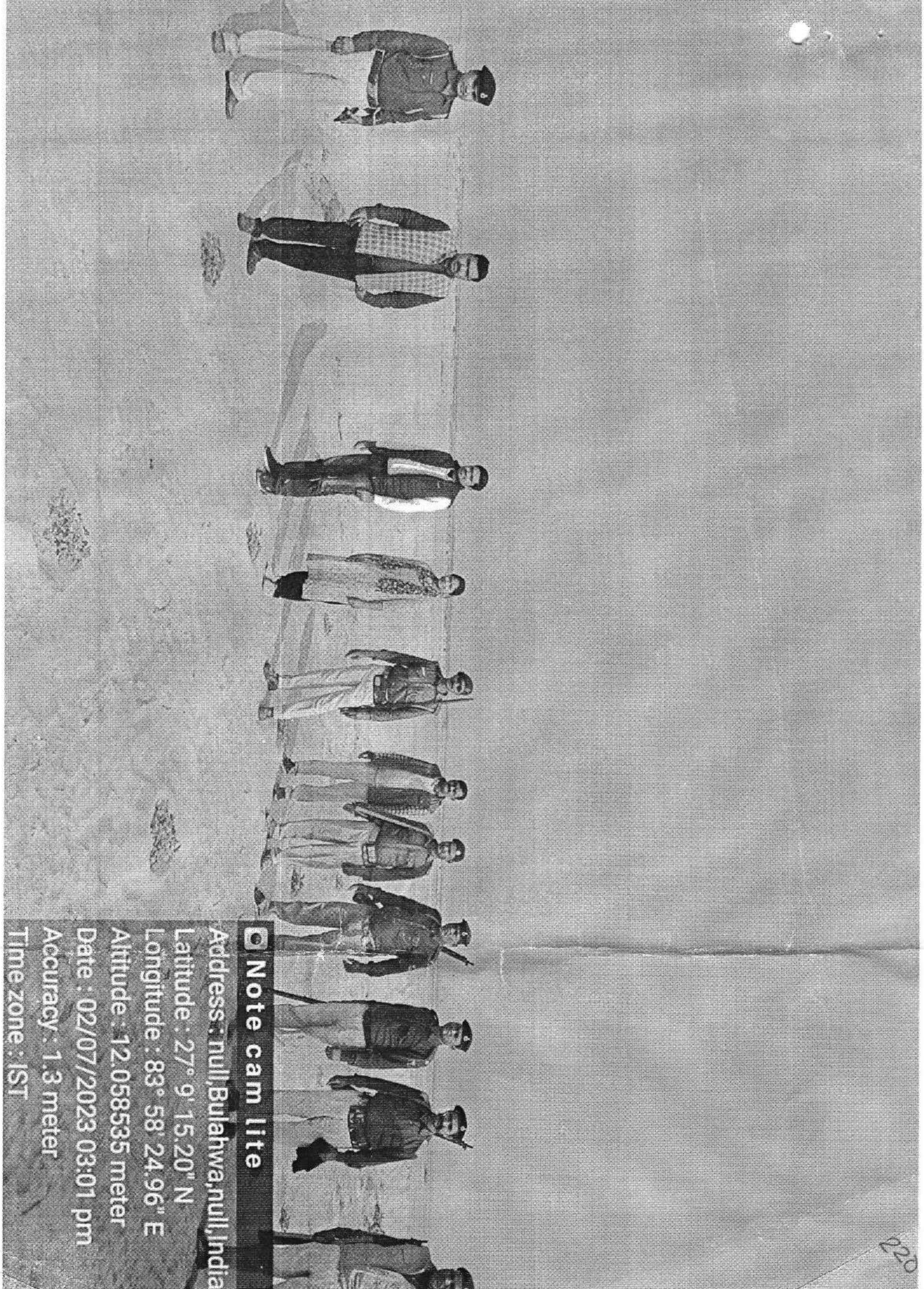
Note cam lite
Address : null,Bulahwa,null,India
Latitude : 27° 9' 15.20" N
Longitude : 83° 58' 24.96" E
Altitude : 12.058535 meter
Date : 02/07/2023 03:01 pm
Accuracy : 1.3 meter
Time zone : IST

220